भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2749**

**17 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न**

**पीएमजीकेएवाई के विस्तार के लिए व्यय की रूपरेखा**

**2749. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:**

**श्रीमती किरण चौधरी:**

**श्री लहर सिंह सिरोया:**

**श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 2029 तक विस्तारित करने के लिए व्यय की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लाभार्थियों और वर्तमान में चिह्नित किए गए व्यक्तियों के बीच के अंतर को किस प्रकार कम किया जा रहा है;

(घ) दशकीय जनगणना आंकड़ों के अभाव में लाभार्थी सूची को अद्यतन करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ड.) क्या मंत्रालय ने फरवरी 2026 की समय-सीमा तक देश भर में सभी सक्रिय राशन कार्डों के लिए शत प्रतिशत आधार सीडिंग और ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) और (ख):** केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और राष्ट्रव्यापी एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिनांक 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए लाभार्थियों अर्थात अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया था। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका अनुमानित वित्तीय व्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में, पीएमजीकेएवाई को दिनांक 31 दिसंबर 2028 के बाद बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

...2/-

**(ग) और (घ):** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान है, जिससे निम्नतम आबादी का लगभग 67% हिस्सा कवर हो जाता है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। इस अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

वर्तमान में, 81.35 करोड़ लोगों को कवर करने के उद्देश्य की तुलना में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 79.40 करोड़ लोगों की पहचान की है, जो कवरेज उद्देश्य का लगभग 97.60% अर्थात करोड़ व्यक्ति हैं। फिर भी, पीएमजीकेएवाई के तहत 1.95 करोड़ और लाभार्थियों की पहचान करने करने की गुंजाइश है।

केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है कि वे एनएफएसए के अंतर्गत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करें। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और योग्य लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा जा सके। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और योग्य लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

**(ड.) और (च):** पीएमजीकेएवाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सुलभता और और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकार की डिजिटल पहलों के हिस्से के रूप में, सभी राज्यों और और संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस को 100% डिजिटाइज़ कर दिया गया है, जिसमें 99.7% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं और 99.2% लाभार्थी आधार से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी का 87.37% कार्य दिनांक 31.01.2026 तक देश भर में पूरा हो चुका है।

*****